न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 54/2012 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएसं संख्या :–2012/00008

उनवान

1. नानिगराम
2. भौजी
3. रेवती

} पुत्रान धन्नी जाति बागडी ब्राहम्ण नि0 दाहिना गॉव तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. बबलू
2. गुड्डू
3. बौबी
4. राम
5. पवन
6. गोपाल

} पुत्रान कुँवरपाल

7. राजेन्द्र
8. बृजेन्द्र

} पुत्रान डूँगर

9. चन्द्रभान
10. प्रमोद उर्फ सूरजभान
11. जगदीश पुत्र परसादी

} पुत्रान रामबाबू

} जाति बागडी ब्राहम्ण नि0 दाहिना गॉव तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

12. बृजमोहन पुत्र परसादी जाति बागडी ब्राहम्ण निवासी दाहिना गॉव तहसील रूपवास हाल निवासी 390, महावीर नगर, सांगानेर जयपुर।
13. भगवान सिंह पुत्र काशीराम (मृतक)
    - 13/1. रेशम पत्नी भगवान सिंह
    - 13/2. नंदराम
    - 13/3. उदल
    - 13/4. बली
    - 13/5. मुकट
    - 13/6. राजवीर

} पुत्र भगवान सिंह जाति गूर्जर

} नि0 दाहिना गॉव तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

14. महेशचन्द पुत्र भौंदू जाति बागडी ब्राहम्ण, नि0 दाहिना गॉव तह0 रूपवास, भरतपुर।
15. सुरेन्द्र कुमार पुत्र नारायण जाति बागडी ब्राहम्ण निवासी दाहिना गॉव तहसील रूपवास हाल निवासी 277, बी आर कालौनी, मित्तल हॉस्पीटल के पास अजमेर।
16. धुरेन्द्र कुमार } पुत्रान नारायण
17. वीरेन्द्र कुमार }
18. रम्मो पुत्र हेता (मृतक)
    18/1. जगदीश } पुत्रान स्व0 रम्मो
    18/2. राममूर्ति }
19. डम्बर पुत्र हेता

(16 से 19) } जाति बागडी ब्राहम्ण नि0 दाहिना गॉव तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

20. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

..............................रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दि0 04.06.2012 प्र.सं. 118/2010 उनवानी नानिगराम बनाम बबलू।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक–30.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2012 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम दाहिना तहसील रूपवास के वादीगण/अपीलाण्ट समभाग प्रत्येक 1/3 भाग, 1/9 हिस्सा के प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 से 06, 2/9 हिस्सा के प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 07 व 08, 1/9 हिस्सा के प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 09 व 10 एवं 2/9 भाग के प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 11 व 12 समभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। अन्य प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। विवादित आराजी पूर्व में यानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन व राजस्थान जमीदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के समय वादीगण/अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 12 के पूर्वज डूॅगर पुत्र वाली, परसादी व धन्नी पुत्रान तेजा की समभाग प्रत्येक की खेवट(मिल्कीयत) एवं खुद काश्त की आराजी रही है। परन्तु राजस्व अभिलेख में विवादित

भू-अवाप्ति अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

आराजी खसरा नम्बर 92 व 125 पर राजस्व कर्मचारियों ने गलती से पहले डूँगर व परमाल के नाम वहिस्सा बराबर व बाद में जमाबन्दी संवत 2038 से 2041 में डूँगर के वारिसान कुमरपाल व हरीराम के नाम 1/2 हिस्सा पर दर्ज कर दिये हैं। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 विवादित आराजी में वादीगण/अपीलाण्ट के 1/9 हिस्सा को मानने से इन्कारी हो रहे हैं तथा विवादित आराजी से वादीगण/अपीलाण्ट को उनके 1/3 हिस्सा से जबरन बेदखल करने का इरादा रखें हुये हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में स्वयं को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार एवं शेष 2/3 हिस्सा के प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 से 12 पर घोषित कराने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ने हाजिर अदालत होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये दावा वादीगण/अपीलाण्ट खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र, आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के किसी भी प्रावधान में नहीं आता है एवं ना ही धारा 207 के प्रावधानों के अनुसार ही पोषणीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में प्रार्थना पत्र, बहस उभयपक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत कानून तथा दावा किस आधार पर खारिज किया जा रहा है, का कोई उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया है। अतः अपीलाधीन निर्णय पूर्णरूपेण मूक आदेश है, जो निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आपत्तियॉ रैस्पो0 को अपने जवाब दावे में दर्ज कर उस आधार पर तनकी कायम की जाकर तय कराने का अधिकार है। आदेश 07 नियम 11 के प्रावधान इसमें लागू नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये एक अवैधानिक एवं मूक आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट ने दावे में प्रतिवादीगण द्वारा कराये गये वयनामाओ को शून्य व अवैध घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। वयनामा को शून्य व

पू. प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

अवैध घोषित कराने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। वयनामाओ को शून्य घोषित कराने हेतु केवल दीवानी न्यायालय ही सक्षम है एवं वयनामाओ को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने से पूर्व अपीलाण्ट का दावा मैन्टेनेबिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुये ही निर्णय पारित किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर 2009 पेज 01, आरआरटी 2019 पेज 186, आरआरडी 1983 पेज 676 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अत्यन्त सूक्ष्म एवं अस्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना नही की जाकर, मात्र दो पंक्ति का अपीलाधीन आदेश यह अंकित करते हुये पारित किया है कि "अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र 07 रूल 11 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है" अतः अपीलाधीन आदेश के पूर्ण तथ्य ज्ञात नही हो पा रहे हैं। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार के निर्णय स्वीकार्य नही हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह सही है कि पंजीयन दस्तावेज, वयनामा, दान पत्र अथवा अन्य कोई हस्तानान्तरण विलेख को नल एण्ड वॉईड किये जाने का क्षेत्राधिकार, राजस्व न्यायालय को नहीं है परन्तु अपीलाधीन वाद में मुख्य अनुतोष उक्त दस्तावेजो को निरस्त कराये जाने बाबत् नहीं, अपितु खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का है। अपीलाण्ट/वादी द्वारा वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 का प्रस्तुत किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को सरसरी तौर पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रैस्पो0 के कथित वयनामा या अन्य कोई हस्तान्तरण के प्रभाव का अध्ययन करते हुए, प्रकरण का परीक्षण किया जाना न्यायहित में वांछनीय हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम, प्रकरण को पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतें हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2012 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः विधिसम्मत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2019 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

Scanned by CamScanner